न्यायालय सहायक कलक्टर (FT), मावली जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या : 55/22 (वाद)
GCMS No. : 2022/104

1. श्री मोतीलाल पिता हीरालाल जाट निवासी राहमी तहसील मावली।
2. श्री वरजु पिता हीरालाल जाट निवासी राहमी तहसील मावली।
3. श्री सवाईराम पिता हीरालाल गोदिक पिता नोला जाट निवासी राहमी तहसील मावली।
4. श्री गणेशलाल पिता हीरालाल जाट निवासी राहमी तहसील मावली।

............वादीगण

बनाम्

स्व. ईश्वरदास पिता दुर्गादास के बजाय :–

1. श्री गुणवन्तसिंह पिता ईश्वरदास निवासी दुर्गाखेडा तहसील डुंगला जिला चित्तौडगढ।
2. श्रीमती शशी पुत्री ईश्वरदास पत्नी अमरसिंह निवासी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ।
3. श्रीमती समता पुत्री ईश्वरदास पत्नी गुलाबसिंह खेडीया निवासी पावटा लक्ष्मीनगर जोधपुर जिला जोधपुर।

स्व. किशनसिंह पिता हरीदास जी के बजाय :–

4. श्रीमती सुमन कुंवर पुत्री किशनसिंह पत्नी किशोरसिंह निवासी खेमपुर की हवेली रावजी का हाटा उदयपुर।

स्व. जगदीश पिता हरीदास जी के बजाय :–

5. श्रीमती सीता पत्नी जगदीश निवासी खेमपुर की हवेली रावजी का हाटा उदयपुर।
6. श्रीमती मन्जु पुत्री जगदीश निवासी खेमपुर की हवेली रावजी का हाटा उदयपुर।
7. श्रीमती गिरजा पुत्री जगदीश निवासी खेमपुर की हवेली रावजी का हाटा उदयपुर।
8. श्री जयकरण दास पिता दुर्गादास निवासी विनायक नगर फतहनगर।
9. श्री भगवतसिंह पिता हरीदास निवासी खेमपुर की हवेली रावजी का हाटा उदयपुर।
10. श्री महेन्द्रसिंह दत्तक पिता खेमराज निवासी खेमपुर तहसील मावली।
11. श्री शिवचरण पिता दुर्गादास निवासी खेमपुर की हवेली रावजी का हाटा उदयपुर।

11/1 श्रीमती आनन्दी पत्नी शिवचरण दास चारण निवासी खेमपुर की हवेली रावजी का हाटा उदयपुर।

11/2 माधुरी पुत्री शिवचरण दास चारण निवासी खेमपुर की हवेली रावजी का हाटा उदयपुर।

11/3 हेमेश्वरी पुत्री शिवचरण दास चारण निवासी खेमपुर की हवेली रावजी का हाटा उदयपुर।

11/4 कुमकुम पुत्री शिवचरण दास चारण निवासी खेमपुर की हवेली रावजी का हाटा उदयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:55 IST
Reason: SelfAttested

11/5 धर्मेश्वरी पुत्री शिवचरण दास चारण निवासी खेमपुर की हवेली रावजी का हाटा उदयपुर।

12. श्रीमती सुरजबाई पत्नी रामचरण दास निवासी पंचायत समिति कॉलोनी के पीछे बडगांव।
13. श्री सुरेशसिंह पिता हरिदास निवासी खेमपुर हाउस ब्रहम्पुरी तीतरडी जिला उदयपुर।
14. पटवारी, पटवार हल्का खेमपुर तहसील मावली।
15. भूमिधारी पदेन तहसीलदार मावली तहसील मावली।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री ललित वसीटा, अधिवक्ता वादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय

दिनांक : 09.05.2025

1. वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा धारता पटवार हल्का खेमपुर तहसील मावली की आराजी नम्बर 1, 2 किता 2 कुल रकबा 0.5909 हेक्टेयर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 13 के नाम वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 में हिस्से अनुसार दर्ज हैं।
2. यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में स्थित है, उक्त कृषि भूमि प्रतिवादीगण के पिता व दादा श्री स्व. हरीदास जी द्वारा वादीगण के पिता श्री हीरा पिता अमरा जी जाट निवासी राहमी को दिनांक 17.04.1967 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा सब रजिस्टार मावली के कार्यालय में दो स्वतन्त्र गवाहों के हस्ताक्षर करवा विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि प्राप्त कर विक्रय पत्र निष्पादित किया तब से वादीगण के पिता एवं वादी की मृत्यु के पश्चात् उसके हम वारिसान उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज हो निरन्तर निर्बाध रूप से खेती करते आ रहे हैं। वादीगण के पिता हीरा पिता अमरा जी जाट तथा प्रतिवादी के पिता व दादा श्री हरीदास जी का निधन हो चुका है, वादीगण के पिता स्व. श्री हीरा जी जाट ने तत्कालीन पटवारी हल्का खेमपुर को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खाता खुलवाने हेतु दिया था किन्तु उस समय पटवारी का तबादला हो जाने तथा कुछ समय बाद वादीगण के पिता हीरा जी का निधन हो जाने से राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद नहीं हो सका और चूंकि हमारा निवास राजस्व ग्राम राहमी जो गादोली पटवार सर्कल में पडता है एवं यह जमीन खेमपुर पटवार सर्कल में आती है इसलिए सहवन से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:55 IST
Reason: SelfAttested

रेकार्ड में अमल दरामद नहीं हो सका, जिससे उक्त कृषि भूमि आज दिनांक को भी श्री हरीदास जी के वारिसान के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो चली आ रही हैं।

3. यह कि वादीगण उक्त कृषि भूमि अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं करवा पाने से बैंक लोन एवं के.सी.सी या अन्य किसी को हस्तान्तरित नहीं कर पा रहे है। यह कि उक्त कृषि भूमि के मूल खातेदार विक्रय पत्र के आधार पर स्व. हिरा जी जाट के हम वारिसान वादीगण संख्या 1 से 4 है उक्त कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करवाने का आदेश पारित करे जिससे हम विक्रय पत्र के मार्फत भूमि के असली मालिक बन कर उसका उपयोग उपभोग कर सके। उक्त कृषि भूमि वादी के नाम हक व हिस्सेनुसार खातेदारी काश्तकार घोषित नहीं किया गया तो वादी को जो अपूरणीय क्षति होगी उसकी तुलना रूपयों पैसो में किया जाना सम्भव नहीं है तथा सुविधा एवं संतुलन भी वादी के पक्ष में हैं। वाद कारण तब पैदा हुआ जब पटवारी हल्का के पास रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि सब रजिस्टार ऑफिस मावली से प्राप्त कर प्रस्तुत की तब पटवारी हल्का ने यह कहा कि राजस्व न्यायालय से आदेश लाने पर ही जमाबन्दी में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण खोला जायेगा। अन्त में निवेदन किया कि वादी के पक्ष में विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार की डिक्री प्रदान कराई जावे कि वाद वर्णित आराजी नम्बर 1, 2 किता 2 कुल रकबा 0.5909 हेक्टेयर भूमि को वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे।

4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 13 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।

5. प्रकरण में साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई। साक्ष्यवादी के तहत गवाह पी.डब्ल्यू 1 श्री मोतीलाल, गवाह पी.डब्ल्यू. 2 श्री घीसुलाल के शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए। गवाह पी. डब्ल्यू. 1 श्री मोतीलाल द्वारा दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये।

6. हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रदर्श 1 ग्राम धारता पटवार हल्का खेमपुर तहसील मावली नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 206 पर दर्ज आराजी नम्बर 1, 2 किता 2 कुल रकबा 0.5909 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 8 से 13 एवं 1 से 7 के मौरूस के नाम हिस्से अनुसार दर्ज है। प्रदर्श–3ए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.04.67

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:55 IST
Reason: SelfAttested

अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि को हरिदास पिता करणीदास द्वारा वादीगण के पिता को विक्रय कर दिया गया। वादीगण के पिता द्वारा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर वादग्रस्त भूमि को अपने नाम दर्ज करने हेतु राजस्व कर्मचारियो से निवेदन किया, परन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा वादीगण के पिता के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नही किया गया। जबकि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व कर्मचारियों को नामान्तरकरण पारित कर वादीगण के पिता के नाम खातेदारी अधिकार से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करना चाहिए। परन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा ऐसा नही किया गया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादीगण के पिता हीरालाल द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि का क्रय करते ही क्रेता हीरालाल उक्त भूमि का खातेदार हो चुका था। केवल मात्र राजस्व रिकॉर्ड में ही अंकन नही किया गया। जो राजस्व कर्मचारियो की भूल है। वादीगण के पिता के निधन के पश्चात वादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार हो चुके है। भू–प्रबंध के दौरान उक्त भूमि को दो आराजीयात मे पृथक – पृथक दर्ज कर दिया गया। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि ग्राम धारता पटवार हल्का खेमपुर तहसील मावली नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 206 पर दर्ज आराजी नम्बर 1, 2 किता 2 कुल रकबा 0.5909 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के मौरूस एवं प्रतिवादी संख्या 8 से 13 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज है के बजाय वादीगण को हिस्सा बराबर से खातेदार घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:55 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मावली
बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री मोतीलाल पिता हीरालाल जाट निवासी राहमी तहसील मावली।
2. श्री वरजु पिता हीरालाल जाट निवासी राहमी तहसील मावली।
3. श्री सवाईराम पिता हीरालाल गोदिक पिता नोला जाट निवासी राहमी तहसील मावली।
4. श्री गणेशलाल पिता हीरालाल जाट निवासी राहमी तहसील मावली।

............वादीगण

बनाम्

स्व. ईश्वरदास पिता दुर्गादास के बजाय :–

1. श्री गुणवन्तसिंह पिता ईश्वरदास निवासी दुर्गाखेडा तहसील डुंगला जिला चित्तौडगढ।
2. श्रीमती शशी पुत्री ईश्वरदास पत्नी अमरसिंह निवासी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ।
3. श्रीमती समता पुत्री ईश्वरदास पत्नी गुलाबसिंह खेडीया निवासी पावटा लक्ष्मीनगर जोधपुर जिला जोधपुर।

स्व. किशनसिंह पिता हरीदास जी के बजाय :–

4. श्रीमती सुमन कुंवर पुत्री किशनसिंह पत्नी किशोरसिंह निवासी खेमपुर की हवेली रावजी का हाटा उदयपुर।

स्व. जगदीश पिता हरीदास जी के बजाय :–

5. श्रीमती सीता पत्नी जगदीश निवासी खेमपुर की हवेली रावजी का हाटा उदयपुर।
6. श्रीमती मन्जु पुत्री जगदीश निवासी खेमपुर की हवेली रावजी का हाटा उदयपुर।
7. श्रीमती गिरजा पुत्री जगदीश निवासी खेमपुर की हवेली रावजी का हाटा उदयपुर।
8. श्री जयकरण दास पिता दुर्गादास निवासी विनायक नगर फतहनगर।
9. श्री भगवतसिंह पिता हरीदास निवासी खेमपुर की हवेली रावजी का हाटा उदयपुर।
10. श्री महेन्द्रसिंह दत्तक पिता खेमराज निवासी खेमपुर तहसील मावली।
11. श्री शिवचरण पिता दुर्गादास निवासी खेमपुर की हवेली रावजी का हाटा उदयपुर।

11/1 श्रीमती आनन्दी पत्नी शिवचरण दास चारण निवासी खेमपुर की हवेली रावजी का हाटा उदयपुर।

11/2 माधुरी पुत्री शिवचरण दास चारण निवासी खेमपुर की हवेली रावजी का हाटा उदयपुर।

11/3 हेमेश्वरी पुत्री शिवचरण दास चारण निवासी खेमपुर की हवेली रावजी का हाटा उदयपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:55 IST
Reason: SelfAttested

11/4 कुमकुम पुत्री शिवचरण दास चारण निवासी खेमपुर की हवेली रावजी का हाटा उदयपुर।
11/5 धर्मेश्वरी पुत्री शिवचरण दास चारण निवासी खेमपुर की हवेली रावजी का हाटा उदयपुर।
12. श्रीमती सुरजबाई पत्नी रामचरण दास निवासी पंचायत समिति कॉलोनी के पीछे बडगांव।
13. श्री सुरेशसिंह पिता हरिदास निवासी खेमपुर हाउस ब्रहम्पुरी तीतरडी जिला उदयपुर।
14. पटवारी, पटवार हल्का खेमपुर तहसील मावली।
15. भूमिधारी पदेन तहसीलदार मावली तहसील मावली।

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 55/22 (वाद) GCMS No. : 2022/104

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि ग्राम धारता पटवार हल्का खेमपुर तहसील मावली नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 206 पर दर्ज आराजी नम्बर 1, 2 किता 2 कुल रकबा 0.5909 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के मौरूस एवं प्रतिवादी संख्या 8 से 13 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज है के बजाय वादीगण को हिस्सा बराबर से खातेदार घोषित किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 09.05.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:55 IST
Reason: SelfAttested